## महत्वपूर्ण एवं खास

### शिक्षा में नवाचार पर राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा : 20 तक दाखिल होंगे नामांकन

**रायपुर (आरएनएस)।** राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली द्वारा जिले एवं विकासखंड स्तर पर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार एवं बेहतर अभ्यास पर दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए राज्य स्तर पर नामांकन दाखिल होंगे। राज्य स्तर पर जिला एवं विकासखंड स्तर से इन पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को पत्र के माध्यम से या ई-मेल पर 20 अक्टूबर 2022 तक कार्यालयीन समय में भेजे जा सकेंगे। जहां से एक समिति के द्वारा बेहतर प्रस्तावों का चयन कर नामांकन परीक्षण के लिए नीपा, नई दिल्ली को 31 अक्टूबर के पूर्व भेजा जाना है। उम्मीदवार नामांकन भेजने के पूर्व नीपा की वेबसाईट में कार्यक्रम विवरण का अवलोकन कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शंका होने पर सीधे नीपा, नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं।

### लाखों रुपए का लोहा लेकर रकम का नहीं किया भुगतान, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

**रायपुर (आरएनएस)।** सिलतरा स्थित सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड से लाखों रुपए के लोहे का चैनल लेकर किसी अन्य को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रितेश मंदानी 43 वर्ष सिलतरा स्थित सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। बताया जाता है कि आरोपी भावेश पटेल व नितेश गोयल प्रार्थी की कंपनी से 3 ट्रक लोहे का चैनल खरीदा। जिसकी वजन 74.590 एमटी है। उक्त माल को आरोपी भावेश व नीतेश ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया और 33 लाख 60 हजार 975 रुपए आहरण कर कंपनी को भुगतान नहीं किया। जब इस बात की जानकारी प्रार्थी को मिली तो उसने इसकी शिकायत धरसींवा थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

### मशीन में फंसकर मजदूर की हुई मौत

**रायपुर (आरएनएस)।** उरला स्थित सदगुरु पाइप कंपनी के स्लिटिंग मशीन में काम करने के दौरान एक मजदूर का हाथ व सिर मशीन में फंस गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में उरला पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक उमेश राय 43 वर्ष उरला के सदगुरु पाइप कंपनी में मजदूरी करता था। बताया जाता है कि 12 अक्टूबर को वह कंपनी में काम कर रहा था। तभी स्लिटिंग मशीन में उसका हाथ व सीर फंस गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में उरला पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ धारा 287, 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

### 44 हाथियों का झुंड लौटा कोरबी, किसानों के फसल को किया चौपट

**कोरबा (आरएनएस)।** वनमंडल कटघोरा के केंदई रेंज में 44 हाथियों का झुंड कोरिया जिले की सीमा से वापस कोरबी सर्किल लौट आया है। हाथियों ने 10 किसानों के धान की फसल को चौपट कर दिया। इधर हाथियों को भगाने के लिए मिले गजराज वाहन खराब होने से कटघोरा के कॉलोनी परिसर में खड़ी कर दिया है। वन अमला विभागीय वाहन से ही गांवों में पहुंचकर मुनादी कर लोगों को सतर्क कर रहा है। हाथियों का झुंड कोरिया जिले की ओर पाली से आगे बढ़ गया था, लेकिन वहां के लोगों ने आगे बढने ही नहीं दिया।

# नाबालिग बालिका से छेड़खानी के आरोपी को अर्थदंड के साथ तीन साल की सजा

- पुसौर थाने के मामले में 6 माह के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
- तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर ने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर पेश की थी चालान
- आरोपी के विरुद्ध विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अदालत में की पैरवी

**रायगढ़।** दिनांक 14.10.2022 को रायगढ़ फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा द्वारा थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 148/2022 धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट के जितेंद्र चौहान आत्मज फूलसाय (31 वर्ष) ग्राम सेमरा थाना पुसौर को आरोपित धाराओं में दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उपरोक्त अपराध में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी किये हैं तथा तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव, वर्तमान थाना प्रभारी कोतरारोड़ द्वारा आरोपी जितेंद्र चौहान की गिरफ्तारी एवं सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है ।

**मामले का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 08.04.2022 को स्थानीय बालिका आरोपी जितेन्द्र चौहान के विरूद्ध लज्जा भंग करने की आशय से छेडछाड़ करने के संबंध में आवेदन लेकर थाना पुसौर पहुंची। महिला विवेचक द्वारा बालिका के आवेदन पर अपराध क्रमांक 148/2022 धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट कायम कर बालिका के परिजनों के समक्ष पूछताछ कर बालिका का कथन लेखबद्ध किया गया। बालिका बताई कि दिनांक 08/04/2022 के दोपहर अपने दीदी के बच्चे साथ गांव के दुकान खाने का सामान चिप्स/मुरकू खरीदने गई थी जहां जितेन्द्र चौहान दुकान के पास गंदे कमेंट्स कर छेड़खानी किया, घर आकर बालिका अपने घरवालों को बताई और आवेदन देकर थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज करायी। रायगढ़ के संवेदनशील एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया, माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं साक्ष्य अखंडित रहे और आरोपी को आरोपित धाराओं में माननीय न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है।

# केबल व कार साइलेंसर की चोरी करने वाला एक और सक्रिय शातिर चोर गया जेल

**रायगढ़।** एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर घरघोड़ा टीआई हर्षवर्धन सिंह बैस थाने का प्रभार लेते ही एसडीओपी धरमजयगढ़ के मार्गदर्शन पर क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुल्जिम की पतासाजी तेज कर दी गई है। #घरघोड़ा पुलिस को लगातार सम्पत्ति संबंधी अपराधों में सफलता मिली रही है।

इसी कड़ी में आज दिनांक 15.10.2022 को घरघोड़ा पुलिस की टीम टीआई घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में सक्रिय चोर राम सिदार पिता हीरालाल सिदार उम्र 22 वर्ष सा. बासनपाली थाना तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.) को हिरासत में लिया गया। आरोपी पूछताछ में पिछले माह दिनांक 28.09.2022 के शाम ग्राम बैहामुडा स्कूलपारा में एक सबमर्सिबल पंप में लगा लगभग 150 मीटर तार को चोरी करना तथा माह जनवरी में टेरम, घरघोड़ा में एक इक्को1 कार का साइलेंसर चोरी कर फेरीवाले कबाड़ी को लोहे के भाव में बेच देना बताया। आरोपी के मेमोरेंडम पर 50 मीटर केबल तार तथा लगभग 100 मीटर जला हुआ केबल तार एवं घटना करने में प्रयुक्त एक प्लास एवं साइलेंसर खोलने में प्रयुक्त लोहे का रिंच पाना (टूल) को बरामद कर जप्त किया गया है।

थाना घरघोड़ा में दिनांक 29.09.2022 को ग्राम बैहामुड़ा निवासी डमरूधर पटेल उम्र 44 वर्ष द्वारा बैहामुड़ा स्कूलपारा में खेत में पानी आपूर्ति केलिये लगाये गये 05 एच.पी. का सबमर्सिबल पंप के 150 मीटर तार को अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट (अप.क्र. 425/2022 धारा 379 भादवि) दर्ज कराया गया था तथा दिनांक 18.01.2022 को रिपोर्टकर्ता पराग गुप्तानिवासी ग्राम टेरम द्वारा दिनांक 10.01.2022 की रात्रि अज्ञात चोर इक्को कार क्र. सीजी-13-ए.एम.-0514 का साइलेंसर कीमती 20,000 रूपये की चोरी (अप.क्र. 13/2022 धारा 379 भादवि) दर्ज कराया गया था जिस पर माल मुल्जिम की पतासाजी की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी राम सिदार निवासी बासनपाली थाना तमनार को दोनों चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

माल मुल्जिम पतासाजी की कार्यवाही में निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, थाना प्रभारी घरघोड़ा, सहा.उपनिरी. विल्फ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक डोलनारायण साव, आरक्षक उधो पटेल, नंदु पैंकरा, पुरूषोत्तम सिदार, भानु चंद्रा की विशेष भूमिका रही है।

# शंकालू पति ने अपनी पत्नी पर किया जानलेवा हमला, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

**रायगढ़।** दिनांक 14.10.2022 को थाना चक्रधरनगर में ग्राम मुनुंद, छाल में रहने वाली मंजू देवी राजपूत पति गोपाल सिंह मूल निवास जनकोप थाना बारून जिला औरंगाबाद (बिहार) द्वारा उसकी बेटी हेमा सिंह राजपूत (उम्र करीब 35 साल) पर उसके पति धीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा चरित्र शंका पर धारधार हथियार और कुल्हाडी के बेट से मारकर प्राण घातक चोंट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया, आहिता हेमा सिंह राजपूत मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में भर्ती है, रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर चक्रधरनगर थाने में बिना नम्बरी अपराध धारा 307 IPC के तहत कायम कर मूल घटनास्थल ग्राम मुनुंद, थाना छाल का होने से थाना छाल बिना नम्बरी डायरी भेजा गया, जहां असल अपराध क्रमांक 204/2022 धारा 307 IPC आरोपी धीरेन्द्र सिंह राजपूत पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

आहिता की मां रिपोर्टकर्ता मंजू देवी राजपूत बताई कि हेमा सिंह राजपूत उसके दुसरे नंबर की बेटी है जिसकी शादी धीरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम मुनुंद छाल, रायगढ़ के साथ करीबन 12 वर्ष पूर्व सामाजिक रिति रिवाज के साथ किये है जिनके दाम्पत्य जीवन से दो बच्चे हैं। धीरेन्द्र सिंह शादी के बाद से ही हेमा पर चरित्र शंका कर हमेशा लडाई झगडा, मारपीट करता था। दिनांक 10/10/2022 के रात करीब 02:30 बजे हेमा की बेटी मोबाइल कर कॉल कर बतायी कि पापा (धीरेन्द्र सिंह), मम्मी (हेमा सिंह) को चाकु और कुल्हाडी के बेट से मारे और भाग गये। डायल 112 की छाल #राइनो इवेंट पर आहिता हेमा सिंह को छाल अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, छाल से हेमा को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है जो पूछताछ में हेमा भी घटना बताई है। घटना के बाद से आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार है, छाल पुलिस आरोपी की पतासाजी कर रही है।

# क्षेत्र के तीन और तांबा तार चोरों को घरघोड़ा पुलिस गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर : 15 किलो तांबा तार बरामद

- चारभांठा स्कूल के पीछे रेल लाइन से चोरी कर छिपा रखे थे आरोपीगण

**रायगढ़।** एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा क्षेत्र में रेल विद्युतीकरण के लिये बिछाये गये तांबा तार चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

घरघोड़ा-धरमजयगढ़ के मध्य रेल विद्युतीकरण के कार्य में लगी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बिलासपुर के सुपरवाईजर हेमंत कुमार राउत द्वारा दिनांक 05.10.2022 को थाना घरघोड़ा में आवेदन देकर तांबा तार चोरी के संबंध में आवेदन दिया गया था, रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 05.10.2022 के मध्य ग्राम चारभांठा प्राथमिक शाला पास रेल्वे लाईन के ऊपर लगे विद्युत तांबा तार कीमती 25,000 रूपये को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 433/2022 धारा 379 भा.द.वि. कायम कर माल मुल्जिम पतासाजी में लिया गया।

थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में माल मुल्जिम पतासाजी दौरान तांबा तार चोरी कर छिपाकर रखे होने की मुखबिर की सूचना पर घरघोड़ा पुलिस की टीम संदेही (1) शशिभूषण दास वैष्णव उर्फ छोटु पिता धरमदास वैष्णव उम्र 24 वर्ष सा. कोटरीमाल (रायकेरा चौक), थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (2) शौकीलाल चौहान पिता स्व. छेदीलाल चौहान उम्र 35 वर्ष (3) देवनाथ राठिया पिता वीरसिंह राठिया उम्र 27 वर्ष दोनों सा. कोगनारा (दर्रापारा), थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को हिरासत में लिया गया जिनसे पृथक-पृथक कड़ी पूछताछ करने पर तीनों चारभांठा स्कूल के पीछे रेल लाइन से तांबा तार चोरी कर छिपा रखना कबूल किये जिनके मेमोरंडम पर जुमला 15 किलोग्राम तांबा तार कीमती 6,000 रूपये का एवं घटना में प्रयुक्त आरीपत्ती लगा बांस बरामद कर जप्त किया गया है। तीनों आरोपियों को चोरी के अपराध में कल दिनांक 14.10.2022 के दोपहर गिरफ्तार कर जेएमएफसी घरघोड़ा न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

# निरीक्षण में बाल सदन पहुंचीं कलेक्टर रानू साहू

- बच्चों से कहा, चुनौतियों से निपटने सकारात्मक सोच और ऊंचा मनोबल है जरूरी
- सुविधाओं के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश

**रायगढ़।** कलेक्टर रानू साहू आज शाम चक्रधर बाल सदन के निरीक्षण में पहुंची। यहां उन्होंने निवासरत बच्चों से मुलाकात की तथा भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां बच्चों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा उनकी समस्याओं तथा मांगों के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए सारी जरूरी सुविधाएं मुहैय्या कराना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने बच्चियों से बात करते हुए उनके पढ़ाई लिखाई और खान पान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चियों से कहा जीवन नींव तैयार करने में पढ़ाई की सबसे मजबूत भूमिका होती है। अच्छे से पढ़ाई कर आप जीवन में सभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार चुनौतियों से निराशा के भाव मन में आते हैं। लेकिन हमे सकारात्मक तरीके से इन चुनौतियों से निपटना है। इसके लिए हमेशा आपको अपना मनोबल ऊंचा रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप सभी में सामर्थ्य की कमी नहीं। अनुशासन से किए गए निरंतर प्रयासों से सफलता जरूर हासिल होगी।

कलेक्टर साहू ने बच्चियों से उनकी हॉबीज को लेकर बात की। उन्होंने बच्चों को सबेरे एक्सरसाइज और जुंबा कराने के लिए कहा। जिससे बच्चे दिनभर की एक्टिविटीज के लिए तरोताजा रहें। उन्होंने बच्चों को मनोरंजक और ज्ञानवर्धक मूवीज दिखाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बच्चियों को विशेष रूप से गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक करने के लिए कहा। इससे संबंधित शिकायत किसी भी बच्ची के द्वारा आने पर तत्काल सख्त कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। उन्होंने आगामी दीपावली पर्व में बच्चों के लिए नए कपड़ों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर साहू ने भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोई घर और डाइनिंग का निरीक्षण किया और रसोइयों से बात की। उन्होंने मेनू अनुसार नाश्ता और भोजन बच्चों को देने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों के शयनकक्ष का भी निरीक्षण किया। वहां वेंटिलेशन को कमी मिलने पर तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। परिसर के भीतर पेड़ कटाई के बाद अवशेष बचे थे उसे तत्काल साफ करवाने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से कंप्यूटर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए।इसके साथ ही उन्होंने भवन में आवश्यक मरम्मत कार्य का एस्टीमेट तैयार करवाने के लिए भी कहा।

इस दौरान एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, ट्रस्ट मैनेजर रूपाली रवानी सहित चक्रधर बाल सदन के अन्य स्टाफ व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

# 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

**रायगढ़।** दिनांक 15.10.2022 को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस द्वारा घरघोड़ा-लैलूंगा रोड ग्राम औराईमुडा मोड पास मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरेकिन में महुआ शराब रखे हुए ग्राहक की तलाश में पकड़ा गया है। टीआई हषवर्धन बैस को मुखबिर से सूचना मिला था कि औराईमुडा मोड पास एक व्यक्ति जरकिन में शराब पकड़े ग्राहक आने के इंतजार में खड़ा है। शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी अपना नाम बंशी श्रीवास पिता रामलाल श्रीवास उम्र 27 वर्ष सा. नेगीपारा छाल थाना छाल, जिला रायगढ़ (छ.ग.) का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2000 रूपये का जप्त कर आरोपी को मय शराब थाने लाया गया जिस पर थाना घरघोड़ा में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, सहा. उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक डोलनारायण साव, आरक्षक उधो पटेल, नंदु पैंकरा, पुरूषोत्तम सिदार, भानु चंद्रा की विशेष भूमिका रही है।

# जुआ फड घेराबंदी में पकड़ाए पांच जुआरियों से 19150 रुपए नगद जब्त

- महरापारा में देर रात्रि चौकी प्रभारी जूटमिल किये जुआ रेड कार्यवाही

**रायगढ़।** पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री व परिवहन पर रोक लगाने पुलिस टीमें मुखबिर लगाकर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 14.10.2022 के देर रात चौकी जूटमिल/साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर गोगा मंदिर चौक महरापारा में स्ट्रीट लाइट के नीचे 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मौके पर पांच जुआडियों के फड एवं पास से नगद रकम रु.19,150 तथा 52 पत्ती ताश जप्त किया गया है, जुआरियों पर पुलिस चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। जुआ रेड कार्यवाही में चौकी प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक मोहम्मद दिलदार कुरैशी, आरक्षक बनारसी सिदार, धनुर्जय चंद बेहरा, विनय तिवारी, जितेंद्र दुबे और सत्या यादव प्रमुख रूप से शामिल थे।

**जुआ रेड में पकड़े गए जुआडियान-**

(1) वीरेंद्र गजभिये पिता जोगेंद्र गजभिये उम्र 37 वर्ष

(2) धर्मेन्द्र उइके पिता गणेश राम उइके निवासी 31 वर्ष

(3) प्रकाश गजभिये पिता जोगेंद्र गजभिये उम्र 37 वर्ष तीनों निवासी गोगा मंदिर चौक महरापारा चौकी जूटमिल थाना कोतवाली

(4) राजकुमार जैन पिता नेमीचंद जैन उम्र 39 वर्ष निवासी जेल पारा चौकी जूटमिल रायगढ़

(5) मनमोहन भारद्वाज पिता श्यामलाल भारद्वाज उम्र 35 वर्ष निवासी कयाघाट चौक जूटमिल रायगढ़

# लूटपाट का फरार तीसरा आरोपी आया जूटमिल पुलिस के हाथ

- दो साथियों के साथ तरकेला रोड़ पर किया था लूटपाट, तीनों आरोपी गए जेल

**रायगढ़।** दिनांक 15.10.2022 को जूटमिल पुलिस ने लूटपाट के फरार आरोपी विजय यादव को मिट्ठूमुडा क्षेत्र में दबिश देकर हिरासत में लिया गया, आरोपी को लूट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 06.10.2022 को पुलिस चौकी जूटमिल में हेतराम सारथी (30 साल) निवासी ग्राम टुन्ड्री थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा पुलिस चौकी जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.10.2022 के शाम लगभग 05.00 बजे ससुराल तरकेला से अपने घर टुन्ड्री (डभरा) आते समय रास्ते में इसकी पत्नि को बाथरूम लगने से रूके थे, उसी समय तरकेला तरफ से एक स्कुटी नीले रंग में तीन व्यक्ति आकर गाली गलौच मारपीट कर इसकी मोटर सायकल क्र सीजी 11 सी 8039, जेब में रखे 2 हजार रूपये और एक कीपैड मोबाईल और मोटरसाइकिल को लूट कर भाग गये। पुलिस चौकी जूटमिल में अज्ञात 3 आरोपियों पर अप.क्र. 1386/2022 धारा 392,34 IPC कायम कर चौकी प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर दिनांक 13.10.2022 को लूटपाट करने वाले दो आरोपी सुनील सारथी उम्र 22 साल निवासी छोटे अतरमुड़ा और प्रभात राय उम्र 20 साल निवासी टीवी टावर के पीछे कृष्णा नगर रायगढ़ को गिरफ्तार कर आरोपियों से लूटा हुआ मोटर सायकल एवं घटना में प्रयुक्त स्कुटी को जप्त कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। आरोपियों ने अपने मेमोरेंडम बयान पर विजय यादव निवासी मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक, जूटमिल को भी लूटपाट में शामिल होना बताया गया था, जो गिरफ्तारी के भय से पुलिस से लुक छिप रहा था।

फरार आरोपी की पतासाजी के लिए चौकी जूटमिल/ साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक के.के. पटेल अपने मुखबिरों फरार आरोपी पर निगाह रखकर सूचना देने की हिदायत दिया गया था जिनके द्वारा आज सुबह आरोपी विजय यादव को मिट्ठूमुड़ा के पास घूमते देखे जाने की सूचना पर जूटमिल पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी विजय यादव को दबिश देकर हिरासत में लिया गया।

आरोपी विजय यादव पिता बाबूलाल यादव उम्र 22 साल निवासी दुर्गा चौंक मिट्ठुमुडा, जूटमिल रायगढ़ से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी अपने दोस्त सुशील सारथी और प्रभात राय के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देना कबूल करते हुए लूटा हुआ मोबाइल को पुलिस से पकड़े जाने के डर से तोड़ कर सांगीतराई तालाब में फेंक देना बताया तथा लूट में मिले 2000 रूपये में 1650 रूये खर्च कर देना बताया, पुलिस आरोपी से शेष बचे रु.350 को जप्त कर आरोपी को लूटपाट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल के साथ उपनिरीक्षक आर.एस.नेताम, आरक्षक बनारसी सिदार, धनुर्जय चंद बेहरा, विनय तिवारी की प्रमुख भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480